



मीरजापुर पुलिस —प्रेस नोट—



दिनांक: 18.11.2024

थाना मडिहान पुलिस टीम द्वारा अवैध असलहा की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व पिस्टल बरामद —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा विधान सभा उप चुनाव (मझवां-397) को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व अवैध शस्त्र के विरुद्ध जारी अभियान में विधिक कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना मडिहान पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक: 18.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना मडिहान मय पुलिस बल द्वारा जरिए मुखबिर सूचना के आधार पर थाना मडिहान क्षेत्रांतर्गत बेला जंगल शिव मन्दिर के पास से मोटर साइकिल (बुलट) सवार 03 नफर अभियुक्त 1. अशोक कुमार पुत्र हीरा प्रसाद निवासी बढौली थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र, 2. अजय कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासी रजखड़ थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र व 3. प्रिंस उर्फ सोनू विश्वकर्मा पुत्र राजनाथ विश्वकर्मा निवासी विसहार थाना करमा जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 अदद अवैध तमंचा (315 बोर व 303 बोर) तथा 01 अदद पिस्टल (30 बोर) बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मडिहान पर मु0अ0सं0-228/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व 3(5) बीएनएस पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. अशोक कुमार पुत्र हीरा प्रसाद निवासी बढौली थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र, उम्र करीब-21 वर्ष।
2. अजय कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासी रजखड़ थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र, उम्र करीब – 24 वर्ष।
3. प्रिंस उर्फ सोनू विश्वकर्मा पुत्र राजनाथ विश्वकर्मा निवासी विसहार थाना करमा जनपद सोनभद्र, उम्र करीब – 26 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

04 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 303 बोर तथा 01 अदद पिस्टल 30 बोर।

4420 रू0 नगद बरामद।

तस्करी में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बुलट) वाहन संख्या- UP 64 AX 7596

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-228/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व 3(5) बीएनएस थाना मडिहान जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास —

(अशोक कुमार)

1. मु0अ0सं0-352/2017 धारा 379 भादवि थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र।

2. मु0अ0सं0-735/2022 धारा 376डी, 452, 506 भादवि व ¼ पाक्सो एक्ट थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र।

(अजय कुमार)

1. मु0अ0सं0-15/2020 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।

2.मु0अ0सं0-151/2021 धारा 323,504,506 भादवि थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र ।

(प्रिस उर्फ सोनू विश्वकर्मा)

1.मु0अ0सं0-42/2022 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप एक्ट थाना करमा जनपद सोनभद्र ।

2.मु0अ0सं0-114/2024 धारा 115(2),117(2),351(2),352 बीएनएस व 3(1)घ,3(1)द,3(2)(va) SC/ST Act. थाना करमा जनपद सोनभद्र ।

3.मु0अ0सं0-145/2021 धारा 120बी,302,34 भादवि थाना करमा जनपद सोनभद्र ।

4.मु0अ0सं0-147/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना करमा जनपद सोनभद्र ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह थाना मड़िहान मय पुलिस टीम ।

